कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-17.01.2025

विषय:- कुल 02 अदद अवैध देशी तमंचा व 04 अदद कारतूस के साथ 03 नफ़र शातिर अभियुक्त थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. करण मिश्रा पुत्र स्व0 डबलू मिश्रा निवासी सगाहाट थाना रोहिनया वाराणसी व हाल पता वीवीआईपी लन के सामने वाली गली में पड़ाव थाना रामनगर वाराणसी, 2. रंजीत गिरी पुत्र कुबेर गिरी निवासी ग्राम मिसिरपुर थाना रोहनिया वाराणसी व 3. दिव्यांश सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी हरिहरपुर बगीचा चितईपुर थाना चितईपुर वाराणसी को दिनांक 16.01.2025 को समय करीब 22.33 बजे डीएल्डबल्यू अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर, 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-20/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त करण मिश्रा ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं व मेरे दोस्त दिव्यांश सिंह व रंजीत गिरी आपस में मित्र हैं। हम तीनों मिलकर तमंचा को हाथ में रखकर रील बनाते है एवं उससे फायर भी करते है तथा उसका विडियो बनाकर उसे मोबाईल में सुरक्षित कर लेते है और अपने अन्य मित्रों को दिखाकर मित्र मंडली में अपना धौंस जमाते हैं। आज हम लोग डीएल्डबल्यू अंडरपास में रील बनाने के लिए आये थे कि आपलोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. करण मिश्रा पुत्र स्व0 डबलू मिश्रा निवासी सगाहाट थाना रोहिनया वाराणसी व हाल पता वीवीआईपी लन के सामने वाली गली में पड़ाव थाना रामनगर वाराणसी, उम्र 19 वर्ष।
2. रंजीत गिरी पुत्र कुबेर गिरी निवासी ग्राम मिसिरपुर थाना रोहनिया वाराणसी, उम्र 21 वर्ष।
3. दिव्यांश सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी हरिहरपुर बगीचा चितईपुर थाना चितईपुर वाराणसी, उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध देशी तमंचा .12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर, 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- डीएल्डबल्यू अंडरपास के पास से, दिनांक 16.01.2025 को समय करीब 22.33 बजे।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रंजीत गिरी पुत्र कुबेर गिरी निवासी ग्राम मिसिरपुर थाना रोहनिया वाराणसी-

1.मु0अ0सं0 020/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडुवाडीह कमि0 वाराणसी।

2.मु0अ0सं0 040/23 धारा 308,323,504,506 भादवि थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

3.मु0अ0सं0 252/24 धारा 115(2),117(2),191(2),351(2),352 बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

4.मु0अ0सं0 340/24 धारा 115(2),351(2),352 बी0एन0एस0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

दिव्यांश सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी हरिहरपुर बगीचा चितईपुर थाना चितईपुर वाराणसी-

1.मु0अ0सं0 020/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडुवाडीह कमि0 वाराणसी।

2.मु0अ0सं0 296/23 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना मंडुवाडीह कमि0 वाराणसी।

करण मिश्रा पुत्र स्व0 डबलू मिश्रा निवासी सगाहाट थाना रोहिनया वाराणसी-

1.मु0अ0सं0 020/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडुवाडीह कमि0 वाराणसी।

गिरफ़्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरणः-

प्र0नि0 भरत उपाध्याय, उ0नि0 विकास कुमार, उ0नि0 राहुल सिंह, उ0नि0 पवन यादव, हे0का0 परवेज खां, हे0का0 सियाराम, हे0का0 दयाशंकर शर्मा, का0 रामकुमार, का0 शिवराम व का0 गनेश कुमार थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।